।।कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0),रूद्रप्रयाग।।

आदेश संख्या–प्रा0शि0अनु0–4/मान्यता/ /आर0टी0ई0/2019–20,दिनांक –08 नवम्बर– 2019

मान्यता

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली– 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता हेतु निम्नांकित विद्यालयो के प्रबन्धकों/व्यवस्थापकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उसके कम में किये गये पत्राचार तथा दिनांक 05–11–2019, को मान्यता समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के पश्चात स्थलीय निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि निम्न विद्यालयों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत मानक पूर्ण किये गये हैं। अतः अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण तथा प्रबन्धकों / व्यवस्थापकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुबन्ध के कम में निम्नांकित विद्यालयों को संचालन हेतु पांच वर्ष तथा तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई मान्यता/नवीनीकरण स्वीकृत/प्रदान की जाती है।

क्र0 स0	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	कक्षा जिसके संचालन की अनुमति है	शिक्षण का माध्यम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अनूप नेगी मैमो0 पब्लिक स्कूल गुलाबराय, रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	प्री0प्राईमरी से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी(CBSE) (CBSE Board	तीन वर्षो हेतु मान्यता
2	श्री गुरूरामराय प0स्कू0 तिलणी, रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूर्व प्रा0 से जूनियर तक	अंग्रेजी(CBSE) (CBSE Board	तीन वर्षो हेतु मान्यता
3	अगस्त्य प0इ0का0 जवाहरनगर, रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूर्व प्रा0 से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
4	अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल, तिलवाड़ा	अगस्तमुनि	पूर्व प्रा0 से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
5	जीवन ज्योति नागेन्द्र उ0प्रा0 कोटी, लस्या	जखोली	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
6	आभा देवी सरस्वती विद्या मन्दिर, सुमाड़ी,	जखोली	कक्षा 6 से 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
7	ब्लूमिंग चिल्ड्रन एकैडमी पाली तल्ली	अगस्त्यमुनि	प्री0प्राईमरी से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
8	श्री तुर्गेश्वर हिल सिटी चिल्ड्रन एकेडमी, चोपता	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
9	डॉ0 जैक्स वीन नेशनल स्कूल, गुप्तकाशी	ऊखीमठ	प्री0 प्राईमरी से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी (CBSE) (CBSE Board)	तीन वर्षो हेतु मान्यता
10	आदर्शबाल विद्यामन्दिर जाखधार, ऊखीमठ	ऊखीमठ	प्री प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
11	दुर्गा पब्लिक स्कूल,दुर्गाधार	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
12	नव ज्योति पब्लिक स्कूल, नगरासू	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु मान्यता
13	नव ज्योति पब्लिक स्कूल, बावई	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु मान्यता

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन में अधीन होगी।

1– मान्यता किसी भी परिस्थिति मे उपरिलिखित स्तंभ–4 की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।

2– विद्यालय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित होगा।

3– विद्यालय अपनी कक्षा–1 मे बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस ककमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हे निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तकप्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक काअनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।

4– उपरोक्त क्रम सं0–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारअधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक मे निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाऐगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता संचालित करेगा।

5– संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नही किया जाएगा तथा कसी भी बच्चें की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक को साक्षात्कार नही किया जाऐगा।

6– विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म,जाति जन्म, आदि कारणो से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नही करेगा।

7–विद्यालय के द्वारा कार्य सुनिश्चित किए जाऐगे।

7(1) किसी भी नामांकित बच्चें को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाऐगा और ना ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाऐगा।

7(2) किसी भी बच्चें को किसी प्रकार शारारिक दण्ड नही दिया जाऐगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही आवश्यकता किया जायेगा।

7(3) किसी भी बच्चें को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की नही होगी।

7(4) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चें का नियम 35 उपनियम (1) के आलोक मे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाऐगा।

7(5) अधिनियम के प्रावधानो के आलोक में निशुल्क/विशेष आवश्यकता वालें बच्चों का समावेशन किया जाऐगा। शिक्षको की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) मे उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाऐगा परन्तु यह कि अधिनियम लागू होने के वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित योग्यता नही धारित करते है, वे निर्धारित समय के अन्दर न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें।

7(6) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षको के दायित्व का निर्वहन करेंगें।

7(7) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) मे संलग्न नही होगें।

7(8) विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

7(9) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक मे उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रो का नामांकन करेगा।

7(10)विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्वत मानको एव मानदण्ड़ो को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्तवत् होगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	*कुल निर्मित क्षेत्र
खेल के मैदान का क्षेत्र	*कक्षा–कक्षो की कुल संख्या
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय सह भण्डार कक्ष	*बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग शौचालय

पेयजल की सुविधा
रसोई घर।
बाधारहित पहुँच
,खेलकूद,उपकरण,,पुस्ताकालय

*मध्याह्न भोजन के लिए

*शिक्षण अधिगम सामग्री,

11–इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जाऐगा, विद्यालय मे नाम से अन्य कही विद्यालय संचा्लित नही होगा।

12–विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाऐं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाऐगा, इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नही किया जाऐंगा।

13–विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधियिम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14–विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।

15–लेखा की अंकेक्षा एव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाऐगा, और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाऐगी, प्रत्येक लेखा विवरणी की प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को भेजी जाऐगी।

16–इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करने में आबंटित कोड़/पत्र सन्दर्भ संख्या को कृपया अंकित एवं उद्वत किया जाए।

17–राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–0समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाऐं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाऐगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाऐगा।

18–यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो उसे सुनिश्चित किया जाऐगा।

19–परिशिष्ट–चार के रूप में सलग्न अन्य शर्ते।

20–यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना की जाती है, तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर कर दी जायेगी ।

ह0–

सी0एन0काला
मुख्य शिक्षा अधिकारी
रूद्रप्रयाग ।

पृ0सं0/प्रा0शि0/546-52 /मान्यता आ0टी0ई0/2019–20दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1.निदेशक,(प्रा0शि0)उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.अपर निदेशक प्रा0शि0गढवाल मण्डल पौडी ।
3.मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग ।
4.जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
5.खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी अगस्तमुनि/जखोली/ऊखीमठ ।
6.प्रबन्ध/प्रधानाध्यापक संबन्धित विद्यालय ।
7.कार्यालय पत्रावली ।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेद्वी)
जिला शिक्षाअधिकारी, प्रा0शि0
रूद्रप्रयाग ।